रजिस्ट्रीसं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-25062026-273820
CG-UP-E-25062026-273820

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3225]	नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23,2026/ आषाढ 2, 1948
No.3225]	NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2026/ ASHADHA 2, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 17 जून, 2026

का.आ.3358(अ)—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, मध्यप्रदेश राज्य के निवाड़ी जिले के तहसील पृथ्वीपुर में विशेष रेल परियोजना, अर्थात**"झाँसी-खैरार-मानिकपुर एवं खैरार-भीमसेन रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना (411 किमी)"**के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीयअधिकारी, राजस्व, निवाड़ी, जिला- निवाड़ी (म0प्र0) को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से या विधिव्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; इस अधिसूचना के अधीन आनेवाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्योरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है |

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना "झाँसी-खैरार-मानिकपुर एवं खैरार-भीम सेन रेल लाईन दोहरी करण परियोजना (411 किमी)" के लिए निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर तहसील में अधिग्रहण की जाने वाली अवसंरचना सहित या रहित भूमिका संक्षिप्त विवरण।

क्र.सं.	तहसील	मौजा	खसरा सं.	कुलरकबा (हे.)	अर्जनहेतुरकबा (हे.)
1	पृथ्वीपुर	हीरापुर	289	0.2190	0.0863
2			410/289	0.4450	0.2001
3			409/289	0.0970	0.1088
4			245	0.1460	0.0154
5			408/227	0.3440	0.1724
6			406/227	0.2910	0.1206
7			376	0.8090	0.0223
8			227	1.3190	0.1758
9			246	0.1460	0.0001
10			388/227	0.2430	0.0001
कुलयोग					**0.9019**

[ई.फा.सं.एन.सीआर.–एच.क्यू.शून्य सी.ई.एन.जी.भूमि/5/2022-ओ.अ.डिप्टी.सी.ई.सी-।झांसी (कम्प्यूटरनं. 60371) दिनांक 12.04.2022]

राजकुमार वानखेड़े, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Prayagraj, the 17th June, 2026

S.O.3358(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely**"Jhansi-Khairar-Manikpur and Khairar-Bhimsen doubling Railway Project (411 km**)" in Tehsil Prithvipur, district Niwari in the State of Madhya Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20 D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, SDM, Niwari, District- Niwari (Madhya Pradesh) in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20 D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely"Jhansi-Khairar-Manikpur and Khairar-Bhimsen doubling Railway Project (411 km)"underPrithvipurTehsil of NiwariDistrict in the state of Madhya Pradesh.

Sl. No.	Tehsil	Village name	Khasara No.	Total Area In Hect.	Acquisition Area In Hect
1	Prithvipur	Hirapur	289	0.2190	0.0863
2			410/289	0.4450	0.2001
3			409/289	0.0970	0.1088
4			245	0.1460	0.0154
5			408/227	0.3440	0.1724
6			406/227	0.2910	0.1206
7			376	0.8090	0.0223
8			227	1.3190	0.1758
9			246	0.1460	0.0001
10			388/227	0.2430	0.0001
Total					**0.9019**

[e-F. No. NCR-HQ0CENG(LAND)/5/2022-O/o DY.CE/C-I/JHS(Computer No.60371) dated 12.04.2022]

RAJKUMAR WANKHEDE, Chief Administrative Officer (Con.)

.

Uploaded by Dte.of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.06.25 12:52:17 +05'30'